


कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

—::कार्यालय आदेश::—

राजस्थान शिक्षा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) को उनके नाम के सामने अंकित अवधि का वेतन कॉलम संख्या-04 में अंकित रिक्त पद के विरुद्ध आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. सं.	नाम व पदस्थापन स्थान (राउमावि / राबाउमावि)	अवधि	जहाँ से वेतन आहरित किया जाना है
01	श्री उमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्रीमती चु0ग0जा0राउमावि, भोपालगढ़, जोधपुर (व्याख्याता-जीव विज्ञान)	अक्टूबर-19	श्रीमती चु0ग0जा0राउ0मा0वि0, भोपालगढ़, जोधपुर


उपरोक्त अवधि में सम्बन्धित व्याख्याता द्वारा यदि किसी प्रकार के अवकाश का उपभोग किया गया हो तो उक्त अवकाश प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर वेतन आहरित किया जावे।


संयुक्त निदेशक (कार्यालय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

दिनांक: 08/01/2020

क्रमांक:-शिविरा / मा / संस्था / सी-4 / रजीगृ / वेतनव्यवस्था / 2019-20
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित उप निदेशक (माध्यमिक)।
2. सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)।
3. सम्बन्धित प्रधानाचार्य,।
4. सम्बन्धित संस्था प्रधान,.....।
5. सिस्टम एनालिसिस्ट, कार्यालय हाजा, कम्प्यूटर अनुभाग।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्यालय)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर